

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फलाक : एच ४ (५९) आकाश/नि.स./२०१२/ २४७

फलाक-८/४/१६

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुगोदन के आधार पर अकादमी रात्र 2017-18 में निम्नलिखित महाविद्यालय की स्नातक रस्तर पर पूर्वांकित विषय/रांकाग में रथाई अनापत्ति प्रगाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ करना चाहिये जाती है:-

महाविद्यालय या नाम व पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संचालित रांकाग/विषय
निषेक भारती गहाविद्यालय, गिलुण्डा, बाया-रिहोट बड़ी, तह. लक्षणाड़ी, रीकर।	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, रीकर।	स्नातक रस्तर पर- कला रांकाग- कम्प्यूटर ऐस्लोकेशन, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी साहित्य, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशारान।

1. संवित्त विश्वविद्यालय एवं धी०सी०आई०से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व रख्य रांथा का होगा ।
2. रांथा गहाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्रावार्य एवं व्याख्याताओं सभा निर्धारित ग्राम्पण्डानुसार अशेषणिक रटाफ की नियुक्ति के साथ-२ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार रांथा को धर्तगान व भविष्य में इस हेतु काई वित्तीय राहायता नहीं देगी ।
4. रांथा को रांथा-२ पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. रांथा द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तात्कालीन नियम १९९३ के रासी उपयोगों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. रांथा को रथाई गान्धी इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरावत शर्तों को कभी गीउल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रथाई गान्धी गान्धी को प्रत्याहरित (Withdrawn) किया जा सकता है ।
7. रांथा को प्रत्येक रात्रि में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा ।
8. रांथां को दो वर्ष की अवधि में NAAC से गूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. निवि गहाविद्यालयों वो वीरीआई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. रांथा प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय गहाविद्यालय/ विभाग की वेबसाइट www.dee.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुरितका एवं गहाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण रूपनामों ग्रन्ति आयुक्तालय को भेजेगी ।
11. रांथा गहाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को १५ दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. गान्धी रांथाधन विकारा गंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर गहाविद्यालय को संजिदा करवाकर DCF-II (Data Capture format) ग्रन्ति प्रतिरूप अपलोड करना अनिवार्य होगा । गहाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी १५ दिवस में आयुक्तालय में प्रसुत करें । इस डाटा के आगामी पर गान्धी रांथाधन विकारा गंत्रालय द्वारा विकरित वेबपोर्टल Know Your College पर गहाविद्यालय की जानकारी साझाएं जान एवं छात्रों को उपलब्ध हो राखेगी ।
13. उपरावत शर्तों की पालना नहीं करने पर रथाई अनापत्ति प्रगाण-पत्र द्वारा प्रत्याहरित कर दिया जायेगा ।

आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है -

1. प्रियेष्ट राहुलक, गाँ० उच्च शिक्षा गंत्री गहोदरा, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी संग्रह, अंती० गुरुद्वारा, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेजटर, रीकर ।
4. कुल रायेव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, रीकर ।
5. रायेव, सांवधित गहाविद्यालय ।
6. सांरेशकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
7. रायेव पत्रावली

११३
रायुक्त-निदेशक (नि.स.)
कालेज शिक्षा जयपुर/राजा



Scanned with OKEN Scanner